न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– सुखराम खोखर
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
69 / 2019 / प्रा.पत्र / 2019	19.11.2019	20.02.2020

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री गंगाराम फूलवानी पुत्र मोहनदास एफ.बी.ओ. मैसर्स योगेश कोल्ड ड्रिंक्स व्यास सर्किल संजय मार्केट मालपुरा जिला टोंक निवासी इन्द्रा कॉलोनी अस्पताल रोड मालपुरा जिला टोंक
2– मैसर्स योगेश कोल्ड ड्रिंक्स व्यास सर्किल संजय मार्केट मालपुरा जिला टोंक
3–श्री महावीर पुत्र कैलाश चन्द प्रोपरायटर मैसर्स सुशीला एजेन्सी महावीर चौक मालपुरा जिला टोंक राज0
4– मैसर्स सुशीला एजेन्सी महावीर चौक मालपुरा जिला टोंक राज0
5–श्री अभिषेक गुप्ता पुत्र सत्यनारायण गुप्ता निवासी 33–33 ए. श्रीराम वाटिका सामभरिया रोड कानोता जयपुर एफ.बी.ओ. मैसर्स सत्य विला बेवरेजेज 142 सदर बाजार कानोता जयपुर
6– मैसर्स सत्य विला बेवरेजेज 142 सदर बाजार कानोता जयपुर

...... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–
1–प्रार्थी की ओर से श्री मदन लाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थीगण उपस्थित

:–निर्णय–: **दिनांक 20.02.2020**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 26.09.2019 को समय 3.58 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स योगेश कोल्ड ड्रिंक्स व्यास सर्किल संजय मार्केट मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचां। विक्रेता की हैसियत से श्री गंगाराम फूलवानी पुत्र मोहनदास एफ.बी.ओ. मैसर्स योगेश कोल्ड ड्रिंक्स व्यास सर्किल संजय मार्केट मालपुरा जिला टोंक निवासी इन्द्रा कॉलोनी अस्पताल रोड मालपुरा जिला टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे **स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड बेवरेजेज फन्टूस ब्राण्ड(Sweetand Carbonated Beverages Fun2us Brand)** जिसके बैच नं0 03260 व पैकिंग दिनांक 10.06.2019 अंकित थी,रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री गंगाराम फूलवानी को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता गंगाराम फूलवानी एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान मे 250–250 मिली 24 बोतल पैक के 5 कागज के के कार्टून **स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड बेवरेजेज फन्टूस ब्राण्ड(Sweetand Carbonated Beverages Fun2us Brand)** रखे हुये मे से 2 कागज के कार्टून को खुलकर ज्यो का त्यो साफ प्रिन्टेड 48 मूल पैक बोतल वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये मे से वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री गंगाराम फूलवानी को रू0 250/–अक्षरे दौ सौ पचास रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड बेवरेजेज फन्टूस ब्राण्ड(Sweetand Carbonated Beverages Fun2us Brand)** 250–250 मिली मूल पैक को बराबरा–बराबर(प्रत्येक भाग मे 12–12 बोतल) अलग–अलग ज्यो का त्यो साफ प्रिन्टेड चयन कर चार ज्यो का त्यो खाकी कागज मे बांधकर नियमानुसार चार भाग तैयार कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–2207 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–2207 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी.ओ. गंगाराम फूलवानी के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाध पदार्थ का नमूना क्रय करते समय श्री गंगाराम फूलवानी ने मौके पर **स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड बेवरेजेज फन्टूस ब्राण्ड(Sweetand Carbonated Beverages Fun2us Brand)** बतोर वारन्टी मैसर्स सुशीला एजेन्सी महावीर चौक मालपुरा जिला टोंक राज0 का बिल/इन्वॉइस 303 दिनांक 16.06.2019 व मैसर्स सुशीला एजेन्सी महावीर चौक मालपुरा जिला टोंक राज0 ने मैसर्स सत्य विला बेवरेजेज 142 सदर बाजार कानोता जयपुर का खरीद बिल क्रमांक/इन्वॉइस नं 035 दिनांक 10.06.2019 की छायाप्रति प्रति पेश की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खाध सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./19/1865 दिनांक 25.07.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/1525/एक्ट/2019/1057 दिनांक 08.07.2019 अनुसार गंगाराम फूलवानी से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड बेवरेजेज फन्टूस ब्राण्ड**(Sweetand Carbonated Beverages Fun2us Brand) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded)व **अवमानक (Sub-Standard)** का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा **मिथ्याछाप** (Mis-branded)व **अवमानक (Sub-Standard)**स्तर का **स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड बेवरेजेज फन्टूस ब्राण्ड**(Sweetand Carbonated Beverages Fun2us Brand) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड बेवरेजेज फन्टूस ब्राण्ड**(Sweetand Carbonated Beverages Fun2us Brand) का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded)व अवमानक **(Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड बेवरेजेज फन्टूस ब्राण्ड**(Sweetand Carbonated Beverages Fun2us Brand)का नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded)व **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 अप्रार्थी श्री गंगाराम फूलवानी पुत्र मोहनदास एफ.बी.ओ. मैसर्स योगेश कोल्ड ड्रिंक्स व्यास सर्किल संजय मार्केट मालपुरा जिला टोंक निवासी इन्द्रा कॉलोनी अस्पताल रोड मालपुरा जिला टोंक पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0) अप्रार्थी श्री महावीर पुत्र कैलाश चन्द प्रोपरायटर मैसर्स सुशीला एजेन्सी महावीर चौक मालपुरा जिला टोंक राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0) अप्रार्थी श्री अभिषेक गुप्ता पुत्र सत्यनारायण गुप्ता निवासी 33–33 ए. श्रीराम वाटिका सामभरिया रोड कानोता जयपुर एफ.बी.ओ. मैसर्स सत्य विला बेवरेजेज 142 सदर बाजार कानोता जयपुर पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0) आरोपित की जाती है।अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 20.02.2020 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.02.2020 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(सुखराम खोखर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukh Ram Khokher
Date: 2020.07.07 13:32:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: